>

Title: Need to provide compensation to the people whose land was acquired for construction of Ramganj Mandi-Bhopal railway line in West Central Railway Zone.

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित रामगंज मण्डी भोपाल रेलवे लाइन 262 कि.मी. पर्याप्त समय पूर्व स्वीकृत हो चुकी है व उसके निर्माण की प्रारम्भिक स्थिति में भूमि को सुरक्षित रखने आदि का कार्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2002 में किया जा चुका है। उस समय के तत्कालीन कलक्टर राजगढ़ ने इस संबंध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए थे। भू अर्जन से संबंधित पटवारी नक्शे तथा अन्य आवश्यक दस्तोवज पश्चिम मध्य रेलवे कोटा को उपलब्ध करा दिए गए थे। परंतु पश्चिम मध्य रेलवे ने आज के दिन तक भू अर्जन हेतु आवश्यक धाराएं 4-6 के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव कलक्टर राजगढ़ मध्य प्रदेश को उपलबध नहीं कराए गए हैं। भू अर्जन की इन प्रारंभिक धाराओं के प्रकाशन के लगभग 2 वÂर्ष बाद मुआवजा वितरित होकर रेलवे विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा प्रकाशन संबधी प्रस्ताव उपलब्ध कराने में जो लापरवाही बरती जा रही है उसके कारण उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कार्य समय सीमा में होना संभव नहीं लगता है।

13.00 hrs.

ऐसी स्थिति में यदि यही आलम रहा तो आने वाले वर्षों में रेलवे लाइन की लागत में भी कई गुना वृद्धि हो जायेगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि मार्च, 2008 में पश्चिम-मध्य रेलवे ने इस रेलवे लाइन के भू-अर्जन के मुआवजे के रूप में 20 करोड़ रुपये कलक्टर, राजगढ़, मध्य प्रदेश को उपलब्ध करा दिये हैं। लेकिन आवश्यक धाराओं के प्रकाशन संबंधी कार्रवाई समय पर न होने के कारण यह राशि केवल बैंक और ट्रेजरी की शोभा बढ़ा रही है।

महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि पश्चिमी-मध्य रेलवे से धारा 4(6) के प्रकाशन संबंधी प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र कलक्टर, राजगढ़ को उपलब्ध कराने के निर्देश दें।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।